# मामूली गड़बड़ियों में जेल नहीं जाएंगे उद्यमी

## संशोधित अध्यादेश को मंजूरी, 13 कानूनों से आपराधिक प्रावधान हटे, लगेगा जुर्माना

अमर उजाला ब्यूरो

**लखनऊ।** यूपी में कारोबार करना और आसान होगा। व्यापारियों और उद्यमियों को बड़ी राहत देते हुए प्रदेश सरकार ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सुगम व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) अध्यादेश-2025 को मंजूरी दे दी है।

कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिये पारित इस अध्यादेश के तहत राज्य में लागू 13 प्रमुख औद्योगिक व व्यापारिक अधिनियमों में लगभग 99 प्रतिशत आपराधिक प्रावधान समाप्त कर दिए गए हैं। अब अधिकांश मामलों में उद्यमियों और व्यापारियों को जेल भेजने की बजाय आर्थिक दंड व प्रशासनिक कार्रवाई की व्यवस्था लागू होगी। इस बदलाव से प्रदेश में निवेश का माहौल और अनुकूल बनेगा। अध्यादेश के तहत मामूली उल्लंघन पर कारावास के कई प्रावधान हटेंगे। छोटे-मोटे तकनीकी उल्लंघनों पर अब जुर्माना या चेतावनी दी जाएगी।

>> समूह क और ख के पदों की शैक्षिक अर्हता तय : पेज 2

### इन अधिनियमों में संशोधन

अध्यादेश के दायरे में आने वाले प्रमुख अधिनियमों में फैक्ट्री अधिनियम, दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट, बोइलर अधिनियम और अनुबंध श्रमिक अधिनियम शामिल हैं।

***लाइसेंस व पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल***

*नई व्यवस्था में लाइसेंस व पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल किया जाएगा, जिससे अनावश्यक कार्यालयी चक्कर खत्म होंगे। भ्रष्टाचार की संभावना को खत्म करने के लिए निरीक्षण प्रणाली पारदर्शी बनाई जाएगी।*

## समूह क की साक्षात्कार से सीधी भर्ती के लिए होगी स्क्रीनिंग परीक्षा

**लखनऊ।** राज्य सरकार ने साक्षात्कार के माध्यम से समूह क के पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा कराने का फैसला किया है। स्क्रीनिंग परीक्षा के 75 फीसदी व साक्षात्कार के 25 फीसदी अंक को जोड़कर परिणाम घोषित होगा और नियुक्तियां होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा के माध्यम से सीधी भर्ती (स्क्रीनिंग परीक्षा) नियमावली-2025 को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कई विभागों के समूह क के कुछ पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से सीधी भर्ती करता था। इसमें अक्सर धांधली की शिकायतें मिलने पर आयोग ने भर्ती प्रक्रिया में संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेजा था। ब्यूरो